jktLFkku LVsV ekbZUl ,.M feujYl fy0

(jktLFkku ljdkj dk midze)

8 oLV iVsy uxj] lfdV gkml jkM] tks/kiqj

fufonk la[;k % vkj-,l-,e-,e-@,lch;l ,.M ihlh&,y-,l-@ thth,e&,y,l@lfonk& 04@18&19 fnukad 17@07@2018

lLFkku dk tSlyesj fLFkr dk;kZy; ifjlj ,oa vkoklh; ifjlj ¼Hkou ,oa lMd½ dh lQkbZ gsrq

fufonk iSi=

निविदा जमा कराने की तिथि–समय	..... .	दिनांक 07/08/2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथी–समय	.....	दिनांक 07/08/2018 अपरान्ह 3.30 बजे तक
निविदा प्रपत्र का मूल्य	.....	रु. 590/– (वस्तु एवं सेवा कर सहित)
स्थान	.....	जैसलमेर कार्यालय राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि0 खनिज भवन बी.पी. टेंक के पास
निविदा प्रपत्र की बिक्री	.....	दिनांक *18@07@2018* से दिनांक *07@08@2018* अपरान्ह 1.00 बजे तक (कार्यालय समय में, राजकीय अवकाश व रविवार के अतिरिक्त)

egkizcU/kd ¼ykbZe LVksu½
tks/kiqj dk;kZy; dh vksj ls tkjh

jktLFkku LVsV ekbUl ,.M feujYl fyfeVsM

(राजस्थान सरकार का एक उपक्रम)

8] oLV iVsy uxj] lfdV gkml jkM] tks/kiqj

Phone: 0291 2511031 / 2516199 Fax: 0291 2511029

निविदा संख्या आर.एस.एम.एम./एसबीयू एण्ड पीसी–एल.एस./जीजीएम–एलएस/संविदा–04/18–19 दिनांक : 17.07.2018

fufonk lpuk

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित कार्यो के लिए दो वर्ष की कार्य अवधि हेतु स्वयं के स्वामित्व एवं अनुभवी सफाई कार्य संचालकों से मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

dk;Z dk fooj.k	fufonk izi= fodz; o iLrqr djus dh frfFk	/kjkgj jkf'k ,oa fufonk izi= eY;	dk;Z vof/k ,oa vuqekfur ykxr
संस्थान के जैसलमेर स्थित कार्यालय परिसर एवं आवासीय परिसरों (समस्त भवनों, सड़कों, शौचालयों, स्नानगारों, नालियों के साथ–साथ विभिन्न स्थलों पर स्थित छोटी एवं बड़ी होदियों एवं सम्बन्धित पाईप लाईन) की नियमित सफाई कार्य करवाने हेतु ।	कम्पनी के जैसलमेर कार्यालय :– खनिज भवन, बी.पी. टेंक के पास, दिनांक 18.07.2018 से 07.08.2018 दोपहर 01.00 बजें तक निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 07.08.2018 को अपरान्ह 3.00 बजें तक	धरोहर राशि रूपये 6, 000/– निविदा प्रपत्र (अहस्तान्तरणीय) रूपये 590/–(वस्तु एवं सेवा कर सहित) (अप्रतिदेय)	कार्य अवधि 2 वर्ष अनुमानित लागत #0 3.00 लाख
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 07.08.2018 अपरान्ह 3.30 बजें जैसलमेर कार्यालय		
सम्पर्क अधिकारी–वरि.प्रबन्धक (अनुबन्ध)	दूरभाष–(0291) 2511031, E-Mail: kishorevyas.rsmml@rajasthan.gov.in		
विस्तृत निविदा सूचना तथा अन्य शर्ते website- www.rsmm.com, o www.sppp.rajasthan.gov.in, पर देखी जा सकती है । निविदा प्रपत्र वेबसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।			

'krZ –

1. निविदा प्रपत्र दिनाक *18-07-2018 ¼ikrZ½ 10-00 cts ls vijkUg 2-30 cts rd½ ls fnukd 07-08-2018 vijkUg 1½00 cts rd* किसी भी कार्य दिवस (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के अलावा) *fu/kkZfjr jkf'k y[kk 'kk[kk tSlyesj dk;kZy;* (खनिज भवन बी.पी. टेंक के पास) में नकद जमा करवाकर अथवा डिमाण्ड ड्राफट जो कि राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि0 के नाम पर जैसलमेर स्थित बैंक में देय हो भेजकर डाक द्वारा भी प्राप्त किये जा सकते हैं। जिसके लिए डाक राशि अलग से देय होगी ।
2. निर्धारित प्रपत्रा में भरी हुई मुहर बन्द निविदाऐ जैसलमेर कार्यालय (खनिज भवन बी.पी. टेंक के पास) पर स्वीकार की जावेगी एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी ।
3. बिना धरोहर राशि के निविदा मान्य नहीं होगी ।
4. बिना कारण बताये उपरोक्त निविदा को निरस्त करने का अधिकार प्रबन्धन के पास सुरक्षित रहेगा ।

egkizcU/kd

एस.बी.यू.एण्ड पी.सी.–लाईम स्टोन

jktLFkku LVsV ekbUl ,.M feujYl fyfeVsM

(राजस्थान सरकार का एक उपक्रम)

8] oLV iVsy uxj] lfdV gkml jkM] tks/kiqj

Phone: 0291 2511031 / 2516199 Fax: 0291 2511029

निविदा संख्या आर.एस.एम.एम./एसबीयू एण्ड पीसी–एल.एस./जीजीएम–एलएस/संविदा–04/18–19 दिनांक : 17.07.2018

fufonk i=

संस्थान राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है। संस्थान के [ानिज भवन कार्यालय तथा अधिकारी एवं कर्मचारी आवासीय कॉलोनी जैसलमेर में स्थित है।

निविदाकर्ता निविदा भरने से पूर्व समस्त कार्य व इनकी स्थिति अच्छी तरह देख समझकर ही अपने रेट प्रस्ताव भरे । निविदा प्रपत्र खोलने के बाद किसी भी प्रकार की अनभिज्ञता एवं आपत्ति/सं ोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

1- dk;l dk fooj.k&

जैसलमेर में स्थित [ानिज भवन कार्यालय भवन एंव अधिकारी एवं कर्मचारी आवासीय कॉलोनी आदि स्थानों पर प्रतिदिन झाडू व पोछा आवश्यक रुप से लगाना, एंव विभिन्न स्थलों व स्थानों पर स्थित समस्त सड़कों, शौचालयों, स्नानगारों, नालियों के साथ–साथ विभिन्न स्थलों पर स्थित छोटी एवं बडी होदियों एवं सम्बन्धित पाईप लाईन की नियमित सफाई हेतु कार्य करवाये जाने एवं इनके व डब्यू सी आदि जाम हो जाने की स्थिति में उनकी तत्काल सफाई कार्य करवाये जाने है। कार्य का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

1.1 संस्थान के tSlyesj fLFkr vkokSlh; dkyksuh ¼vf/kdkjh ,oa deZpkjh dkyksuh gkLVYl@ DokVlZ@xLV gkml ½ ifjlj के अंदर व उससे लगते बाहरी क्षैत्र व उसमें स्थित शौचालय व स्नानागारों एवं उक्त स्थलों पर स्थित छोटी एवं बडी हौदियों एवं संबंधित पाईप लाईन की सफाई का कार्य, सप्ताह के समस्त दिवसों पर, (केवल त्यौहारों के अवकाश के दिनों को छोडकर) नियमित सफाई का कार्य, जिसमें संस्थान द्वारा एक वर्ष में कम से कम पांच हौदियों की म ीनीकृत/मानवकृत सफाई, सम्मिलित है, कराई जायेगी तथा जिसके लिए आपको पूर्व में लिखित में सूचित किया जायेगा।

1.2 संस्थान के tSlyesj fLFkr [kfut Hkou dk;kZy; के समस्त कक्षो मय गेस्ट हाउस एवं कार्यालय परिसर के अंदर व बाहर व उसमें स्थित शौचालय व स्नानागारों एवं छोटी एवं बडी हौदियों एवं संबंधित पाईप लाईन की नियमिल सफाई का कार्य, सप्ताह के समस्त दिवसों पर, (केवल त्यौहारों व साप्ताहिक अवकाश के दिनों को छोडकर) नियमित सफाई का कार्य, जिसमें संस्थान द्वारा एक वर्ष में कम से कम पांच हौदियों की म ीनीकृत/मानवकृत सफाई, सम्मिलित है, कराई जायेगी तथा जिसके लिए आपको पूर्व में लिखित में सूचित किया जायेगा।

ukV:– उक्त दोनों स्थलों पर समुचित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अनुबंधकर्ता को कंपनी के निर्देशानुसार सप्ताह के समस्त दिवसों पर, (उपरोक्तानुसार केवल त्यौहारों आदि के अवकाश के दिनों को छोडकर) प्रातः 8:00 से अपरान्ह 1:00 बजे तक सफाई कार्य निश्पादित कराने होगें, जिसके लिए निविदा की भार्तो के अनुसार भुगतान किया जायेगा। भुगतान व समुचित सफाई हेतु लगाये गये सफाईकर्मियों के संबंध में कोई भी विवाद संस्थान द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेगें ।

2. vuqcU/k dh lkekU; 'krZ&

2.1 उपरोक्त कार्य की अवधि कार्यादेश पत्र जारी होने की तिथि से *nk o"k* तक रहेगी, जिसे प्रबंधन स्वविवेक से एक वर्ष की अवधि हेतु समान दरों एवं शर्तो पर बढ़ाया जा सकता है।

2.2 निविदाकर्ता को उपरोक्त कार्य के लिये नियत मासिक दर रुपये प्रतिमाह बंद लिफाफे में दिनांक 00.00.2018 मध्यानह 3.00 बजे तक उप महाप्रबंधक (लाईम स्टोन यूनिट) खनिज भवन कार्यालय जैसलमेर में प्रस्तुत करनी है। इसी दिन अनुबन्धकर्ता की उपस्थिति में सायं 3.30 बजे निविदा खोली जायेगी।

2.3 निविदाकर्ता कार्य का विवरण शर्त संख्या क्रमांक 1.1 व 1.2 में वर्णित समस्त कार्यों हेतु अलग–अलग एकमु त दरें अनिवार्य रूप से भरनी होगी। निविदाकर्ता कार्य करने की दर (वस्तु एवं सेवा कर रहित) इस प्रपत्र के साथ संलग्न वित्तीय दर प्रस्ताव प्रारुप परिशिष्ठ–3 में भरे। स्वीकृत की गई कार्य करने की दर संपूर्ण अनुबन्ध अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय रहेगी। जिसके लिये निविदाकर्ता को धरोहर राशि रुपये 6,000/– जमा करानी होगी। निविदाकर्ता को निविदा के साथ उक्त धरोहर राशि खनिज भवन, जैसलमेर कार्यालय में बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि आर.एस.एम.एम. लि., जोधपुर के पक्ष में जारी किया गया हो, को निविदा प्रपत्र के साथ लगानी होगी। बिना धरोहर रा ि ा निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी। असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि, सफल निविदाकर्ता को कार्य आदेश जारी होने के प चात लौटा दी जायेगी तथा इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । सफल निविदाकर्तों की धरोहर राशि को अमानत राशि में समायोजित किया जा सकेगा।

2.4 निविदाकर्ता की ऑफर, निविदा खोलने की तिथि से 120 दिन तक वैद्य मानी जायेगी, इस समय सीमा में निविदाकर्ता निविदा को न तो रद्द कर सकता न ही वापस ले सकता है तथा न ही इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। ऐसा करने पर निविदाकर्ता की धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जावेगी।

2.5 *U;ure fufonk nj dk fu/kkZj.k&* सफल निविदाकारों के दर प्रस्ताव का कम्पनी द्वारा मूल्यांकन किया जावेगा । न्यूनतम दर का निर्धारण निविदाकारों के न्यूनतम प्रस्ताव (L1) को कम्पनी द्वारा स्वीकार किया जायेगा तथा जिस निविदाकार का कुल दर प्रस्ताव प्रारुप परिशिष्ठ–3 (क्र0 सं0 1.1 से 1.2) में मासिक आधार पर न्यूनतम होगा उसी को ही कम्पनी द्वारा इस निविदा का कार्य आदेश जारी किया जावेगा।

2.6 सफल निविदाकर्ताओं को अनुबंध की कुल राशि का 5 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। निविदाकर्ता द्वारा अमानत राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में धरोहर राशि को अमानत राशि में समायोजित कर बकाया राशि हेतु बिल मे से कटौती कर वसूल की जायेगी।

2.7 अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि अनुबंधकर्ता बिना किसी पूर्व सूचना के कार्य छोडकर चला जाता है अथवा संस्थान को किसी प्रकार की हानि पहुंचाता है तो उक्त हानि की भरपाई उसकी अमानत राशि से की जायेगी।

2.8 निविदाकर्ता को प्रतिदिन निर्धारित समय पर नियमित सफाई कार्य करना आवश्यक होगा। अनुबन्धकर्ता को, शर्त क्रम संख्या 1.1 व 1.2 में वर्णित कार्यालय के समस्त कक्षों, भवनों, स्नानघरों, शौचालयों, आवासीय कॉलोनी, सड.कों आदि स्थानों पर सफाई/धुलाई व प्रतिदिन झाडू व पोछा आवश्यक रुप से लगाना होगा। साथ ही उक्त स्थानों पर नाली, सीवरेज लाइन, एवं छोटी व बडी होदी, डब्यू सी आदि जाम हो जाने की स्थिति में उनकी तत्काल सफाई करनी होगी।

2.9 उपरोक्त वर्णित क्षेत्र व उसके आस पास मरे हुये जानवरों (यदि कोई है) को, खान कार्यालय, जैसलमेर कार्यालय एवं आवासीय परिसर से दूर ले जाकर फेंकना होगा।

2.10 सफाई कार्य हेतु उपयुक्त सामग्री झाड़ू, पोंछा एवं बाल्टी आदि स्वयं अनुबन्धकर्ता को लाना होगा तथा उसकी सार–सम्भाल की जिम्मेदार भी निविदा कर्ता की होगी।

2.11 सफाई कार्य हेतु अन्य सामग्री यथा फिनाईल, एसिड, सोप आदि कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

2.12 निविदा कर्ता को अधिकृत अधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी अन्य दिशा – निर्देशो का भी पालन करना होगा।

2.13 निविदा कर्ता को प्रत्येक माह की 5 वीं तारीख तक दो प्रतियों में बिल अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा बिल के साथ दैनिक आधार पर संतोषजनक रूप से समस्त निर्धारित कार्य स्थलो पर संतोषप्रद कार्य निष्पादन के पक्ष में संबंधित अधिकृत अधिकारी को दैनिक हस्ताक्षर युक्त सत्यापन रिपोर्ट तथा सफाई कर्मियों के मासिक वेतन भुगतान मय बैंक इत्यादि की विस्तृत जानकारी, निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। बिल का भुगतान सामान्यतया सात दिन की अवधि में आवश्यक वैधानिक कटौती के पश्चात शेष राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस. द्वारा सीधे निविदाकर्ता के बैंक खाते में ही किया जायेगा।

2.14 यदि किसी दिन सफाई कर्मचारी किसी भी कार्य स्थल जैसलमेर [ानिज भवन कार्यालय एंव आवासीय कॉलोनी से अनुपस्थित रहेगा तो उस दिन का भुगतान देय नही होगा तथा इसके अतिरिक्त रुपये 300/– प्रतिदिन प्रति स्थल उस पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर के हिसाब से दण्ड स्वरुप कटौती मासिक बिल से की जायेगी।

2.15 dj ,o nj कार्य के दौरान वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जायेगा। तदुपरांत उक्त राशि का नियमानुसार पुनर्भरण, निविदाकर्ता द्वारा भुगतान संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर, कंपनी द्वारा किया जायेगा।

i. निविदादाता को प्रस्तुत दरों में वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Tax) सम्मिलित नहीं करना होगा अन्य सभी प्रकार की ड्यूटी भामिल करनी होगी जो कि निविदा की अंतिम तिथि तक लागू हो। प्रस्तुत दरें कार्य अवधि के दौरान स्थिर रहेगी एवं निविदा में वर्णित भार्तो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की वृद्धि देय नहीं होगी।

ii. वस्तु एवं सेवा कर का समय से भुगतान करना एवं टैक्स रिटर्न समय से जमा करवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कांट्रेक्टर की रहेगी। इसके तहत प्राप्त निर्धारित क्रेडिट RSMML को मिले यह सुनि चत करना भी कांट्रेक्टर का कार्य होगा।

iii. यदि किसी कारणव ा RSMML को क्रडिट नहीं मिलता है तो कम्पनी कांट्रेक्टर को देय बिल/सिक्योरिटी डिपोजिट में से यह क्रडिट रा ि ा कटौती करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

iv. कार्य के लिए देय भुगतान के GST return भरने में हुई गलती या देरी एवं Reversal of input tax credit (ITC) कारण पैनेल्टी लगने की परिस्तिथी में देय रा ि ा का भुगतान कांट्रेक्टर द्वारा किया जायेगा, यदि ऐसा नहीं होता है तो कम्पनी यह रा ि ा काट्रेक्टर को देय रा ि ा में से कटौती/समायोजित कर सकती हैं।

v. निविदादाता को निविदा दर भरते समय सभी प्रकार के डयूटी एवं लेवीज, जो इस कार्य से संबंधित हो जोडकर भरनी होगी । इस विषय में अनभिज्ञता अगर निविदादाता द्वारा द ार्यी गयी, तो वह अतिरिक्त भुगतान इस एवज में प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है ।

vi. अगर निविदा भरने के बाद कर एवं डयूटी बढती है या घटती है या निरस्त हो जाती है या नयी इम्पोज की जाती है और जो अनुबंधित कार्य से संबंधित है तो आरएसएमएमएल अनुबंधकर्ता से कर एवं डयूटी की वसूली करेगा या अनुबंधकर्ता को इन करों एवं डयूटी की क्षतिपूर्ति करेगा लेकिन इसके लिए अनुबन्धकर्ता को कंपनी को इससे संबंधित दस्तावेज

देने होंगे । कंपनी को आयकर या अन्य कर जो इस कार्य से संबंधित हो की कटौती करने का पूर्ण अधिकार है

2.16 यदि निविदाकर्ता किसी दिन सफाई हेतु सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं करता है तो संस्थान द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था पर खर्च रा ि ा की वसूली उपरोक्त भार्त 2.14 में वर्णित दण्ड स्वरुप कटौती के अतिरिक्त अनुबन्धकर्ता के मासिक बिल में से की जायेगी।

2.17 यदि निविदा कर्ता 7 दिन तक लगातार सफाई नहीं करता है, तो उसके अनुबन्ध को बिना किसी सूचना के समाप्त करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।

2.18 निविदाकर्ता को कान्ट्रेक्ट लेबर ऐक्ट (रेगुले ान एवं एबोलि ान) ऐक्ट, 1971 एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 तथा मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के समस्त लागू प्रावधानों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। राजस्थान लोक उपापन में पारद ि ता अधिनियम, 2012 एवम् राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 की अनुपालना में निविदा प्रपत्र में निम्न ऐनेक्सर्स संलग्न किए हैंः–

Annexure-A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.
Annexure-B: Declaration by the Bidder regarding Qualifiations.
Annexure-C: Grievance Redressal during Procurement process & form No. 1.
Annexure-D: Additional Conditions of Contract.

ukV: **Annexure-B** में निविदाकर्ता द्वारा घोशणा किया जाना आव यक है।

2.19 निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर स्वयं के हस्ताक्षर मय मुहर एवं दिनांक लगाना आवश्यक है।

3.0 *nj le>kSrk okrk* (**Negotiation**½%&

3.1 कम्पनी द्वारा केवल न्यूनतम दर प्रस्ताव (L1) देने वाले निविदाकर्ता से नेगो ि ाये ान किया जा सकता है। न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता के दर प्रस्ताव को उपयुक्त न पाने की अवस्था में कम्पनी प्रबन्धन लिखित काउन्टर ऑफर द्वारा न्यूनतम निविदाकर्ता को अपना प्रस्ताव देने पर विचार कर सकती है और यदि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम्पनी या तो निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करेगी अथवा उसी काउन्टर आफर को द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L2) को तत्प चात् तृतीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L3) को एवं दर प्रस्ताव प्रक्रिया के उपरोक्त क्रमानुसार दिया जावेगा । जो भी निविदाकर्ता इस प्रक्रिया के अनुसार काउन्टर आफर स्वीकार करेगा उसे कार्य आदे ा कम्पनी द्वारा जारी किया जा सकता हे।

3.2 अगर निविदाकर्ता द्वारा नेगो ि ाये ान के दौरान दिया हुआ प्रस्ताव उसके प्रारम्भिक दर प्रस्ताव से अधिक है तब भी निविदाकर्ता पूर्व में भरी हुई कम दर प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु बाध्य होगा

3.3 नेगो ि ाये ान के दौरान निविदाकर्ता के प्रतिनिधि को निविदाकर्ता द्वारा लिखित सहमति /अधिकार पत्र (written authority) प्रस्तुत करना होगा जिसमें कि यह स्प ट वर्णित होगा कि उसका प्रतिनिधि निविदा प्रपत्र में भरी हुई दर प्रस्ताव को सं ोधित /बदलने के लिए प्राधिकृत है। इसमें निविदाकर्ता को किसी प्रकार का उज्र नहीं होगा।

4-00 *dk;Z le;&* सफाई कार्य हेतु खनिज भवन एवं आवासीय परिसर जैसलमेर हेतु कंपनी के निर्देशानुसार पर्याप्त कर्मचारी सप्ताह के समस्त कार्य दिवसों पर सुबह 8:00 बजे सायं 1:00 बजे तक (केवल त्यौहारों आदि के अवकाश के अतिरिक्त) आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने होगे। आवश्यकतानुसार प्रबंधन द्वारा उक्त समय अवधि में परिवर्तन भी किया जा सकता है।

4.1 अनुबन्ध अवधि के दौरान यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो संस्थान द्वारा एक माह की अग्रिम सूचना देकर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकेगा।

4.2 निविदा कर्ता को समय–समय पर प्र ाासन विभाग व अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये निर्दे ों की पालना अनिवार्य रुप से करना होगा।

4.3 यदि निविदाकर्ता अनुबन्ध की अवधि के पूर्व अनुबन्ध को समाप्त करना चाहे तो इसके लिये प्रबन्ध को एक माह पूर्व सूचित कराना आवश्यक होगा, तथा ऐसी स्थिति मे निविदाकर्ता की समस्त धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

4.4 ***vihy&*** राजस्थान लोक उपापन में पारदर्ि ाता नियम, 2013 की धारा 40 के अर्न्तगत यदि कोई भी बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला उपापन संस्थान के किसी भी निर्णय, कार्यवाही या लोप, जैसी भी स्थिति हो, से किसी भी रूप में असंतुश्ट या खफा है, तो वह निर्धारित फीस जमा करवाकर, दस दिन के भीतर निर्धारित प्रथम या द्वितीय अपीलेट अथॉरिटी को उक्त निर्णय, कार्यवाही या लोप का स्पश्ट उल्लेख करते हुए फार्म नं. 1 (देखें नियम 83) – राजस्थान लोक उपापन में पारदर्ि ाता अधिनियिम– 2012 की मेमोरेण्डम ऑफ अपील के तहत अपील कर सकता है।

4.5 ***Hkfo"; fuf/k %***

i. इस कार्य के संबंधित कर्मचारी के प्रति अनुबंधकर्ता स्वयं भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं समय–समय पर सं ोधित नियमों की पालना करने के लिए उतरदायी है, यदि नियमानुसार भविष्य निधि अधिनियम लागू है तो ।

ii. भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अनुसार अनुबंधकर्ता को अपने आपको रीजनल प्राविडेण्ट फण्ड कमिश्नर (RPFC) के अर्न्तगत रजिस्टर्ड करवाना होगा अगर उसने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करवा रखा है तो । निविदादाता को आरपीएफसी आफिस से प्राप्त भविष्य निधि रजिस्ट्रेशन नम्बर की प्रति कार्य प्रारंभ करने से पहले कंपनी को प्रस्तुत करनी होगी अगर वह नहीं देता है तो अनुबंध निरस्त किया जा सकता है ।

iii. अगर निविदादाता पर ईपीएफ एण्ड एमपी अधिनियम लागू नहीं होता है लेकिन कार्न्ट्रेक्ट लेबर (R&A) की एप्लीकेबिलिटी के कारण कर्मचारियों के वेतन में से काटे गये भविष्य निधि व नियोक्ता का अं ादान जमा कराना है, तो वह आरएसएमएमएल के पीएफ ट्रस्ट में 1.10ः प्रति ात प्र ाासनिक चार्ज सहित जमा करा सकता है । इस हेतु उसे एक शपथ पत्र एनेक्सचर–प्रथम के फारमेट में उचित मूल्य के नोन–ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर देना होगा। यह उसे तकनीकी वाणिज्यिक निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

iv. उसको हर मासिक बिल/अन्तिम बिल के साथ एक विवरण देना होगा जिसमें श्रमिक/कर्मचारी का नाम, अनुबंधकर्ता द्वारा उसको दिया गया पारिश्रमिक का विवरण, काटी गयी भविष्य निधि की रार्ि ा एवं नियोक्ता द्वारा किये गये अं ादान का विवरण, रार्ि ा जो आरपीएफसी आफिस/ट्स्ट में हर कर्मचारी/ श्रमिक के नाम पर जमा कराई गई है उसका विवरण देना होगा और चालान की कापी पिछले माह की मासिक बिलों के साथ संलग्न करनी होगी ।

egkiicU/kd

एस.बी.यू.एण्ड पी.सी.–लाईम स्टोन

प्रारुप परिशिष्ठ–1

iLrko

निविदा संख्या आर.एस.एम.एम./एसबीयू एण्ड पीसी–एल.एस./जीजीएम–एलएस/संविदा–04/18–19 दिनांक : 17.07.2018

fo'k; % **lLFkku d t lyej fLFkr dk;ky; Hkou] vkokl h; dkyku ifjlj] ,o mlem fLFkr 'kkpky;k] Lukuxkjk ,o ukfy;k dh fu;fer lQkb dk; gr egjcUn fufonk iLrko dk vkem=.kA**

महोदय,

मुझे/हमें उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में निविदा संख्या आर.एस.एम.एम./एसबीयू एण्ड पीसी–एल.एस./जीजीएम–एलएस/संविदा–04/18–19 दिनांक 17.07.2018 की सभी भार्तों से सहमत हैं। उक्त कार्य के सम्बन्ध में चाही गई सूचनाएँ एवं कार्य की दरें निम्नानुसार हैं।

d l	fooj.k	fufonkdrk Lo; Hkj
01	वांछित धरोहर रा ि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं व रा ि	बैंक का विवरण..... डिमाण्ड ड्राफ्ट सं ..... रा ि..... दिनांक ..... .
02	कार्य अनुभव का विवरण (दस्तावेज कोई है तो संलग्न करें)	
03	रजिस्ट्रे ान संख्या एवं दिनांक	
04	पेनकार्ड नम्बर की फोटो प्रति	
05	टिन नं0 की फोटो प्रति	
06	वस्तु एवं सर्विस कर नम्बर की फोटो प्रति	
07	पी.एफ.खाता नम्बर की फोटो प्रति या रु.50.00 का शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करें। ¼Annexure-I½	
08	निविदाकर्ता ह्रारा विभाग की अनुमति पत्र संलग्न है या नहीं।	

(सभी दस्तावेज संलग्न करें)

हस्ताक्षर निविदाकर्ता
पता एवं दूरभाश नं0

प्रारुप परिशिष्ठ&2

Bank Details of Tenderer for RTGS/NEFT/Online refund of EMD

Sl.No.	Description	Details
1	Name of Tenderer & Address	
2	e-mail ID	
3	Telephone Number Mobile no.(for SMS)	
3	Bank Account No.	
4	Banker details: a) Name b) Branch No. c) Address	
5	Type of A/c : Saving / Current / CC/ any other	
6	IFSC code	

Name & Signature of Tenderer
with seal

प्रारुप परिशिष्ठ–3

foÙkh; nj iLrko

निविदा संख्या आर.एस.एम.एम./एसबीयू एण्ड पीसी–एल.एस./जीजीएम–एलएस/संविदा–04/18–19 दिनांक : 17.07.2018

fo'k; % lLFkku d t lyej fLFkr dk;ky; Hkou] vkokl h; dkyku ifjlj] ,o mle fLFkr 'kkpky;k] Lukuxkjk ,o ukfy;k dh fu;fer lQkb dk; gr egjcUn fufonk iLrko dk vke=.kA

महोदय,

मैं/हम उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में निविदा संख्या आर.एस.एम.एम./एसबीयू एण्ड पीसी–एल.एस. /जीजीएम–एलएस/संविदा–04/18–19 दिनांक 17.07.2018 की सभी भार्तों से सहमत हैं। उक्त कार्य के सम्बन्ध में चाही गई कार्य की दरें निम्नानुसार हैं।

dze l0	dk;l dk fooj.k	iLrkfor ,de r nj ¼ekfld nj 'kCnk ,o vdk e #i; ifrekg½ oLr ,o lokdj jfgr
1.1	संस्थान के जैसलमेर स्थित आवासीय कॉलोनी परिसर (अधिकारी एवं कर्मचारी कॉलोनी) उसमें स्थित शौचालय व स्नानगारों तथा तथा छोटी एवं बड़ी होदियों एवं सम्बन्धित पाईप लाईन की सफाई का कार्य । आवासीय कॉलोनी परिसर की नियमित सफाई का कार्य। (कार्य की विस्तृत जानकारी हेतु निविदा प्रपत्र देखें)	
1.2	संस्थान के जैसलमेर स्थित खनिज भवन कार्यालय परिसर एवं उसमें स्थित विभिन्न स्थलों पर स्थित शौचालय व स्नानगारों तथा छोटी एवं बड़ी होदियों एवं सम्बन्धित पाईप लाईन की सफाई का कार्य। कार्यालय परिसर की नियमित सफाई का कार्य। (कार्य की विस्तृत जानकारी हेतु निविदा प्रपत्र देखें)	
	dk;l dh dy nj ¼dze l0 1-1 l 1-2 dk tkM½	

ukV&fufonkdrkvk dk dze l0 1-1 l 1-2 rd of.kr leLr dk;k gr nj vfuok;l :i l Hkjuh gkxhA

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

पताः.....

.....

.....

दूरभाश नं0.....

Annexure-I

AFFIDAVIT

(TO BE TYPED ON THE NON JUDICIAL STAMP PAPER OF Rs. 50/- ATTESTED BY NOTARY/MAGISTRATE)

I ……. S/o …….. aged ……. Years …… Resident of ……On behalf of the tenderer i.e. M/s ……

Hereby take oath and state as under:

1. That I/We have submitted a tender for.....
2. That I/We have gone through the terms & conditions of the tender document.
3. That the provisions of the EPF & MP Act are not applicable on me/us (i.e.the above tenderer / contractor).
4. That in case during the currency of the contract, I/We come under the purview of the EPF & MP Act, then I/we will get myself/ourselves registered with the concerned PF Commissioners.

Deponent
(Authorised signatory)

Verification

I, the above mentioned deponent make oath and state that my above statement is true and correct to my personal knowledge, and no part of it is wrong and that nothing material has been concealed. So help me god.

Deponent
(Authorised signatory)

Dated: ----------

Place: ------

(Authorised Signatory)
Name of the Designation/ Relationship of the authorised Signatory with the tenderer

ANNEXURE-A

Compliance with the Code of integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a contractor in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/contractor for the contract.

ANNEXURE-B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted For procurement in response to Notice Inviting Bids I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding of commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date **Signature of bidder**

Place **Name:**

Designation:

Address:

Annexure-C

The designation and address of the First Appellate Authority is –

Secretary to the Government of Rajasthan,
Department of Mines & Petroleum,
Secretariat,
Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is –

Principal Secretary to the Government of Rajasthan,
Department of Finance,
Secretariat,
Jaipur

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**
No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procumbent;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;

(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ……. of ……
Before the ……(first/second Appellate Authority)

1. Particular of appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)
(ii)
(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy, or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal : …….
   ……
   ……(Supported by an affidavit)

7. Prayer: …….
   ……..
   Place ……..
   Date ……..
   Appellant's Signature

Annexure-D

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent (20%) , of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.